न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस0

0न0 – 22/2025

नवान : –

1. मदनलाल पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. महावीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
3. सुरेश थालौड पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा

:–प्रार्थीगण

बनाम्

1. पवन कुमार पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी महराना तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित</u>
<u>धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट</u>

उपस्थिति :–श्री रोहताश सहारण प्रार्थी
श्री सतवीर पूनियां अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः 11.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एमआरएन के खाता सं0 100/92 के मुरब्बा नम्बर 24, 37 एवं 50 की कुल 7.3370 है0 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, एव चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 21/181 की 6.3250 है0 भूमि औमप्रकाश आदि के नाम से खातेदारी दर्ज है उक्त भूमि के मु0 न0 25 के किला न0 3/1, 3/2, 8/2, 13/2 में स्वीकृत शुदा रास्ता है। मु0 न0 25 में स्थित स्वीकृत शुदा रास्ता जो किला न0 3/2, 8/2, 13/2 में से स्वीकृत एवं चालू रास्ता है में से होकर प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज चक 5 एमआरएन के खाता सं0 84/125 के मु0 न0 25 के किला न0 19/1, 20 में से उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम मौके पर चालू रास्ता से आवागमन करते है। इसके चिपते ही पश्चिमी और मु0 न0 24 में प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है जिसमें चले जाते है प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज खाता सं0 84/125 के मु0 न0 25 के किला न0 19/1 में 0.006 है0, किला न0 20 में 0.013 है0 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता आवागमन हेतु स्वीकृत करवाना चाहतें है। उक्त रास्ता से होकर आगे रिकार्ड में दर्ज स्वीकृ[illegible] चालू [illegible] होकर गांव से अपने खेत तक आवागमन कर सकेगें। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 1 [illegible] दर्ज खाता सं0 84/125 के मु0 न0 25 के किला न0 19/1 में 0.006 [illegible] है0 उत्तरी तरफ पूर्व से पश्चिम रास्ता राजस्व रिकार्ड में द[illegible] कानूनी अधिकारी [illegible] परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं [illegible]। इसलिए उपरोक्त [illegible] में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। मुताबिक राजीनामा के 5 एमआरएन के खाता संख्या 84/125 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19/1, 20 में से उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम मौके पर चालू रास्ते से आवागमन करते है एवं मुताबिक राजीनामा चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 84/125 की कुल 1.7710 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज में से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19/1 की 0.126 में 0.013 है0, किला नम्बर 22/1 की 0.127 है0 में 0.013 है0 मध्य में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एवं पश्चिम ओर 0.020 है0 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 में से 0.013 है0 रास्ता दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम, चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 100/92 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5/1, 6/1, 15, 16 में से प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता उतर से दक्षिण, पूर्वी तरफ, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6/1 में 0.020 है0 किला नम्बर 7, 8, 9 में से 0.013 है0 रास्ता पूर्व से पश्चिम व दक्षिणी तरफ आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 100/92 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 16/1, 25/1 प्रत्येक किला में से 0.013 है0 भूमि पूर्वी तरफ व रास्ता के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 पवन कुमार के पश्चिम तरफ नाम दर्ज किये जाने हेतु सहमत है। उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पडता है। रास्ता की एवज की भूमि के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार भूमि देने हेतु तत्पर व तैयार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा में प्रार्थी चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 84/125 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19/1, 20 में से उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम मौके पर चालू रास्ते से आवागमन करते है. एवं मुताबिक राजीनामा चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 84/125 की कुल 1.7710 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज में से मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर 19/1 की 0.126 में 0.013 है0, किला नम्बर 22/1 की 0.127 है0 में 0.013 है0 मध्य में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण एवं पश्चिम ओर 0.020 है0 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 में से 0.013 है0 रास्ता दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम, चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 100/92 के मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5/1, 6/1, 15, 16 में से प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता उतर से दक्षिण, पूर्वी तरफ, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6/1 में 0.020 है0 किला नम्बर 7, 8, 9 में से 0.013 है0 रास्ता पूर्व से पश्चिम व दक्षिणी तरफ आवागमन हेतु स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 100/92 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 16/1, 25/1 प्रत्येक किला में से 0.013 है0 भूमि पूर्वी तरफ व रास्ता के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 पवन कुमार के पश्चिम तरफ नाम दर्ज किये जाने हेतु सहमत है व रास्ता की भूमि के एवज में भूमि या रास्ता की भूमि की एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिस की गई कृषि भूमि दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि/भूमि देने को तैयार है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kaljit Shivan
Date: 2025.09.24 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक जीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही जा चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 84/125 के मुरब्बा नम्बर 25 के किला नम्बर)/1 की 0.126 में 0.013 है0, किला नम्बर 22/1 की 0.127 है0 में 0.013 है0 मध्य में र्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम ओर 0.020 है0 किला नम्बर 21 की 0.253 है0 में से 013 है0 रास्ता दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम, चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 100/92 मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 5/1, 6/1, 15, 16 में से प्रत्येक में 0.013 है0 रास्ता तर से दक्षिण, पूर्वी तरफ, मुरब्बा नम्बर 37 के किला नम्बर 6/1 में 0.020 है0 किला म्बर 7, 8, 9 में से 0.013 है0 रास्ता पूर्व से पश्चिम व दक्षिणी तरफ रास्ता स्वीकृत किया गाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है वं उक्त रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थीगण के नाम चक 5 एमआरएन के खाता संख्या 00/92 के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 16/1, 25/1 प्रत्येक किला में से 0.013 है0 भूमि पूर्वी तरफ व रास्ता के बदले में अप्रार्थी संख्या 1 पवन कुमार के पश्चिम तरफ नाम दर्ज जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 14:55:32 IST
Reason: SelfAttested